

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्रांक: एफ.7(28)परीक्षा-"क"/प्रधानाध्यापक(मावि)/2017-18/2440 दिनांक: 7.07.2021 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के शिड्यूल-1/II के ग्रुप-एफ के पद प्रधानाध्यापक-मावि समकक्ष पर निम्नांकित आशार्थी को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है। उक्त अभिस्तावना एवं शासन के पत्रांक:- प.17(32)शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक:-24.02.2022 द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी स्वीकृति के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थी को प्रधानाध्यापक-मावि के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के लेवल-14 में नियुक्ति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। इनका चरित्र/दस्तावेज सत्यापन/अनुभव सत्यापन संतोषजनक नहीं होने पर सेवा मुक्त करने का अधिकार नियोक्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ 1(12)डीओपी /ए-1/2005 दिनांक: 20.01.06 एवं एफ.12(06)एफडी (नियम)/2005 दिनांक: 13.03.2006 तथा एफ 15(1)एफ डी/नियम /2017 दिनांक: 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प. 8(1)कार्मिक/क-2/03 दिनांक:- 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

Sr no	PSC merit	Selec. Cat.	Name	Father name	Date of birth	Address	District	Posting	District
1	582	OBCM-LD	RAMPRASAD KHATI	SATYANAR AYAN KHATI	01-07-1991	YADAY MOHALLAH-DEVLIYA KALAN,TAHSIL-BHINAY,DISTRICT AJMER	AJMER	GOVT. SECONDARY SCHOOL NAGAR ETC (482548), MASUDA (08210612201)(MASUDA)	AJMER

सत्यमेव जयते

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक: 20.06.2001(33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। संबंधित आशार्थी के राजस्थान राज्य से बाहर का शिक्षण अनुभव अथवा राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताधारी होने की स्थिति में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्वयं के स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करावें। सत्यापन होने तक कार्यग्रहण हेतु प्रोविजनल अनुमति प्रदान की जावे। अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व अपने दस्तावेजों (विभागीय अनापत्ति सहित) की छाया प्रति मय पदस्थापन आदेश की प्रति एवं समस्त प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में शपथ पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने के पश्चात लिखित पूर्वानुमति लेकर ही कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आशार्थी दिनांक:- 31.03.2022 तक नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। उक्त आदेश द्वारा प्रदत्त समस्त नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक-मावि प्रतियोगी

12

परीक्षा-2018 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं/अपीलों में माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णयों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता के प्रमाणीकरण के अध्यक्षीन रहेंगी। अभ्यर्थी के राज्य सेवा में सवार होने के कारण स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक नहीं होगा।



(काना राम)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/आरपीएससी-18/HMपदस्थापन/vol-1.2021/169-70 दिनांक: 22.03.2022  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारंभिक।
9. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश में उल्लेखित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।
10. सहायक निदेशक, गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक/नियंत्रण अधिकारी।
12. रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

22.3.22